अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला....................सहरसा................................, सं0...............113..........................., सन् ....2023.......................

केस का प्रकार...भूमि विवाद-- (BDLR अपील वाद)..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः-113/2023** **रघुनाथ तांती ....अपीलार्थी** **-बनाम-** **राजेश तांती एवं अन्य एवं राज्य..............................विपक्षी** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत अपील वाद रघुनाथ तांती पिता-स्व0 गुणेश्वर तांती, साकिन बरियाही बाजार, टोला-सफावाद, वार्ड नंबर-10, थाना बनगाँव, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा के भूमि विवाद वाद संख्या-19/2022-23 में दिनांक-24.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता गुणेश्वर तांती एवं चाचा रामेश्वर तांती दोनों पिता-बाबुजी तांती को वादग्रस्त भूमि का वासगित पर्चा मिला था। तथा उक्त भूमि की जमाबंदी संख्या-2599/40 आवेदक के पिता एवं चाचा के नाम से कायम हुआ। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत संचरना एवं गाय का बथान बनाकर परेशान कर रहे हैं। उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन तथा विपक्षीगण के अनाधिकृत संरचना को हटाने एवं वादग्रस्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि अपीलार्थी का दावा सही नहीं है। तथा यह कि अपीलवाद को खारिज किया जाय। उभयपक्ष के Final बहस को सुना। तथा अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का यह दावा सही है कि प्रश्नगत भूमि का वासगित पर्चा उनके पिता भूनेश्वर तांती एवं चाचा ______	

रामेश्वर तांती को प्राप्त हुआ था। जिसका जमाबंदी संख्या-2599/40 कायम हुआ। अपीलार्थी उनके वारिसान हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करने का अपीलार्थी के अनुरोध को Reject करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा द्वारा भूमि विवाद संख्या-19/2022-23 में दिनांक-24.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुये अंचल पदाधिकारी, कहरा को आदेश दिया जाता है कि 03 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए, प्रश्नगत जमीन का नापी करायेंगे तथा अनुवर्त्ती कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें।

Rajek.
17/3/25.
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।
Rajek.
17/3/25.
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

कार्यालय, आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1541 /विधि सहरसा, दिनांक 28-3-2025

प्रतिलिपि–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा को आयुक्त न्यायालय के भूमि विवाद अपील वाद संख्या–113/2023 में दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश की प्रति तथा उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री रघुनाथ तांती, पिता–स्व0 गुणेश्वर तांती, साकिन–बरियाही बाजार, टोला–सफाबाद, वार्ड नं0–10, थाना–बनगांव, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री राजेश तांती, पिता–गोनर तांती एवं अन्य साकिन–बरियाही बाजार, टोला–सफाबाद, वार्ड नं0–10, थाना–बनगांव, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/3/25

प्रभारी पदाधिकारी, विधि,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।